संख्या:14/2021/558/46-1-21-1000(18)/2019

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती एवं कुशीनगर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या1419 (2)/12-निर्माणः अ.ग्रा., दिनांक 13.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण योजना हेतु निर्धारित फण्डिग पैटर्न 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित राज्यांश की धनराशि रू.1500.00 लाख (रू. पन्द्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुल 47 सम्पर्क मार्गों/सड़कों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक में 47 सम्पर्क मार्गों के स्तम्भ-6 में अंकित संशोधित लागत रू.1860.017 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष देय राज्यांश की कुल धनराशि रू.1487.642 लाख (रू. चौदह करोड़ सत्तासी लाख चौसठ हजार दो सौ) मात्र के सापेक्ष शासनादेश संख्या-02/2021/2017/46-1-20-1000(18)/2019 दिनांक 09.01.2021 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू.749.999 लाख सड़कवार/परियोजनावार के पश्चात अवशेष धनराशि को संलग्नक के स्तम्भ-9 के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू.737.643 लाख (रूपये सात करोड़ सैतीस लाख चौसठ हजार तीन सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर 1-के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विष्शिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियंता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियंता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियंता की संस्तुति पर मुख्य अभियंता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्यों के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) सैंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर 1-में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक के स्तम्भ-12 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र; को दी जायेगी।

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद हेतु व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, प्रयागराज तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, प्रयागराज से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ की होगी।

(13) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों काविविरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-256/दस-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।)

भवदीय,

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या :14/2021/558(1)/46-1-2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्ष), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
10. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
11. वित्त (व्यय (नियंत्रण-अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:14/2021/558/46-1-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 का संलग्नक

क्र.सं.	जनपद	सं.	मार्ग का नाम	संशोधित			देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	राज्यांश की द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की धनराशि (लाख रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रू)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष द्वतीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि (ला.रू.)
				लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (लाख रू.)	राज्यांश की धनराशि (लाख रू.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सहारनपुर	1	दीवालहेडी बास्तम मार्ग	0.900	40.094	32.067	15.871	16.196	3.532	1.753	1.779	28.535	14.118	14.417
	सहारनपुर	2	फतेहपुर मल्हीपुर मार्ग	0.800	33.870	27.089	13.496	13.593	2.984	1.490	1.494	24.105	12.006	12.099
	सहारनपुर	3	बगडौली से पाण्डोखेडी अवशेष मार्ग	0.550	29.103	23.277	11.622	11.655	2.564	1.284	1.280	20.713	10.338	10.375
		3	**सहारनपुर**	**2.250**	**103.067**	**82.433**	**40.989**	**41.444**	**9.080**	**4.527**	**4.553**	**73.353**	**36.462**	**36.891**
2	मु. नगर	1	भिक्की से बेहडा मार्ग	1.080	44.485	35.579	16.973	18.606	3.919	1.875	2.044	31.660	15.098	16.562
	मु. नगर	2	गंगनहर से दूधली मार्ग	0.450	21.540	17.228	8.465	8.763	1.897	0.935	0.962	15.331	7.530	7.801
	मु. नगर	3	गोयला कल्याणपुर मार्ग शाहजुडडी अवशेष भाग	0.810	37.578	30.055	14.750	15.305	3.310	1.629	1.681	26.745	13.121	13.624
	मु. नगर	4	खाईखेडी से दो मुही राजवाहे तक	1.040	41.944	33.547	16.373	17.174	3.695	1.808	1.887	29.852	14.565	15.287
	मु. नगर	5	पचेण्डा मार्ग से बढेडी मार्ग	0.590	24.730	19.779	9.670	10.109	2.178	1.068	1.110	17.601	8.602	8.999
	मु. नगर	6	जागाहेडी सम्पर्क मार्ग	0.350	15.560	12.445	6.133	6.312	1.371	0.678	0.693	11.074	5.455	5.619
		6	**मु. नगर**	**4.320**	**185.837**	**148.633**	**72.364**	**76.269**	**16.370**	**7.993**	**8.377**	**132.263**	**64.371**	**67.892**
3	शामली	1	ग्राम ईस्माइलपुर मेन रोड से मदन सैनी के मकान तक	0.110	7.399	5.918	3.003	2.915	0.652	0.332	0.320	5.266	2.671	2.595
	शामली	2	ग्राम कुतुबगढ में पीतम सिंह पुत्र पुरण सिंह के मकान से शोराज सैनी के मकान तक	0.223	18.007	14.402	6.907	7.495	1.586	0.763	0.823	12.816	6.144	6.672
	शामली	3	ग्राम खेडकी मे शिव मन्दिर के सामने सीसी रोड	0.110	9.011	7.207	3.478	3.729	0.794	0.384	0.410	6.413	3.094	3.319
	शामली	4	चन्देनामाल से सहारनपुर सीमा का अवशेष भाग	1.240	58.610	46.876	23.127	23.749	5.163	2.554	2.609	41.713	20.573	21.140
	शामली	5	गन्देवडा नहर की पटरी बाईपास मार्ग	0.805	41.253	32.994	16.460	16.534	3.634	1.818	1.816	29.360	14.642	14.718
		5	**योग जनपद-**	**2.488**	**134.280**	**107.397**	**52.975**	**54.422**	**11.829**	**5.851**	**5.978**	**95.568**	**47.124**	**48.444**
4	मेरठ	1	खेडा बलरामपुर से जहावीर माड़ी से होते हुए चन्दसारा ग्राम तक मार्ग	1.600	72.635	58.093	33.154	24.939	6.398	3.662	2.736	51.695	29.492	22.203
		1	**योग जनपद-**	**1.600**	**72.635**	**58.093**	**33.154**	**24.939**	**6.398**	**3.662**	**2.736**	**51.695**	**29.492**	**22.203**
5	बागपत	1	बूढपुर-राजवाहे से फतेहपुर चक तक मार्ग।	0.700	41.389	33.103	16.533	16.570	3.646	1.826	1.820	29.457	14.707	14.750
		1	**योग जनपद-**	**0.700**	**41.389**	**33.103**	**16.533**	**16.570**	**3.646**	**1.826**	**1.820**	**29.457**	**14.707**	**14.750**
6	गाजियाबाद	1	ग्राम त्रिवडा बाइपास से ग्राम सीकरी मार्ग का तृतीय भाग	0.300	17.701	14.157	6.094	8.063	1.559	0.673	0.886	12.598	5.421	7.177
		1	**योग जनपद-**	**0.300**	**17.701**	**14.157**	**6.094**	**8.063**	**1.559**	**0.673**	**0.886**	**12.598**	**5.421**	**7.177**
7	हापुड़	1	हापुड़ सपनावत रोड चितौड़ी भट्टा से ग्राम चितौली मार्ग	0.780	40.530	32.416	16.325	16.091	3.570	1.803	1.767	28.846	14.522	14.324
		1	**योग जनपद-**	**0.780**	**40.530**	**32.416**	**16.325**	**16.091**	**3.570**	**1.803**	**1.767**	**28.846**	**14.522**	**14.324**
8	बुलन्दशहर	1	जहांगीराबाद औरंगाबाद मार्ग पर हनुमान मन्दिर से टिटौंटा मार्ग द्वितीय भाग	0.650	36.747	29.390	13.449	15.941	3.237	1.485	1.752	26.153	11.964	14.189

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		1	**योग जनपद-**	**0.650**	**36.747**	**29.390**	**13.449**	**15.941**	**3.237**	**1.485**	**1.752**	**26.153**	**11.964**	**14.189**
9	बिजनौर	1	नसीरपुर से शेरपुर कल्याण मार्ग	0.945	41.050	32.832	18.040	14.792	3.616	1.993	1.623	29.216	16.047	13.169
	बिजनौर	2	सद्दोबेर (बेरखा) रामनगर टांडा मार्ग से मिर्जालीपुर मार्ग तक	0.730	46.289	37.022	18.050	18.972	4.077	1.994	2.083	32.945	16.056	16.889
	बिजनौर	3	चान्दपुर फीना मार्ग पर प्याऊ से ताहरपुर मार्ग	1.100	57.047	45.626	22.820	22.806	5.025	2.520	2.505	40.601	20.300	20.301
		3	**योग जनपद-**	**2.775**	**144.386**	**115.480**	**58.910**	**56.570**	**12.718**	**6.507**	**6.211**	**102.762**	**52.403**	**50.359**
10	अमरोहा	1	ग्राम मदीपुरा प्रथमा बैक से ग्राम भटपुरा प्राथमिक विघालय तक।	0.850	33.336	26.662	16.923	9.739	2.936	1.869	1.067	23.726	15.054	8.672
		1	**योग जनपद-**	**0.850**	**33.336**	**26.662**	**16.923**	**9.739**	**2.936**	**1.869**	**1.067**	**23.726**	**15.054**	**8.672**
11	मुरादाबाद	1	कुडेंसरा मार्ग से पीपली उमर ग्राम तक	1.180	79.840	63.856	24.271	39.585	7.033	2.681	4.352	56.823	21.590	35.233
		1	**योग जनपद-**	**1.180**	**79.840**	**63.856**	**24.271**	**39.585**	**7.033**	**2.681**	**4.352**	**56.823**	**21.590**	**35.233**
12	सम्भल	1	बटुआ से अट्टा आश्रम होते हुए अतौरा रोड तक	1.460	72.250	57.786	28.986	28.800	6.364	3.201	3.163	51.422	25.785	25.637
		1	**योग जनपद-**	**1.460**	**72.250**	**57.786**	**28.986**	**28.800**	**6.364**	**3.201**	**3.163**	**51.422**	**25.785**	**25.637**
13	रामपुर	1	माटखेडा रोड से भोगपुर कालोनी तक	0.425	20.400	16.316	8.087	8.229	1.797	0.893	0.904	14.519	7.194	7.325
		1	**योग जनपद-**	**0.425**	**20.400**	**16.316**	**8.087**	**8.229**	**1.797**	**0.893**	**0.904**	**14.519**	**7.194**	**7.325**
14	बरेली	1	ग्राम कुड्डा से पखुरनी	1.100	65.157	52.113	25.771	26.342	5.739	2.846	2.893	46.374	22.925	23.449
		1	**योग जनपद-**	**1.100**	**65.157**	**52.113**	**25.771**	**26.342**	**5.739**	**2.846**	**2.893**	**46.374**	**22.925**	**23.449**
15	पीलीभीत	1	जहानाबाद अमरिया रोड से बिसेन गाँव तक प्रथम भाग	0.800	38.988	31.183	16.915	14.268	3.434	1.869	1.565	27.749	15.046	12.703
		1	**योग जनपद-**	**0.800**	**38.988**	**31.183**	**16.915**	**14.268**	**3.434**	**1.869**	**1.565**	**27.749**	**15.046**	**12.703**
16	शाहजहांपुर	1	गुरूद्वारा (ग्राम कुवांडांडा) से बहेलियों वाले कुवांडाडा तक प्रथम भाग	1.050	65.042	52.021	25.935	26.086	5.729	2.864	2.865	46.292	23.071	23.221
		1	**योग जनपद-**	**1.050**	**65.042**	**52.021**	**25.935**	**26.086**	**5.729**	**2.864**	**2.865**	**46.292**	**23.071**	**23.221**
17	खीरी	1	ग्राम जरिया से मियापुर अवशेष भाग	0.286	20.037	16.026	9.264	6.762	1.765	1.023	0.742	14.261	8.241	6.020
	खीरी	2	सेमरावाँ मझिगवाँ मार्ग से सेमरहिया ग्राम तक	0.400	24.682	19.741	11.774	7.967	2.174	1.301	0.873	17.567	10.473	7.094
	खीरी	3	पटिहन से सरबरनगर घोला मार्ग	0.600	36.603	29.275	16.506	12.769	3.224	1.823	1.401	26.051	14.683	11.368
	खीरी	4	दलनगर मेहर सिंह के खेत से दर्शन सिंह शेखो के बाग तक	0.850	44.435	35.539	21.217	14.322	3.914	2.343	1.571	31.625	18.874	12.751
	खीरी	5	मूडाबुजुर्ग से ग्राम रायपुर सम्पर्क मार्ग तक	0.360	26.927	21.536	11.957	9.579	2.372	1.320	1.052	19.164	10.637	8.527
	खीरी	6	पीलीभीत बस्ती मार्ग से ग्राम खानीपुर में आशा सिंह के घर तक बाया गुरद्वारा	0.350	20.284	16.223	9.319	6.904	1.787	1.030	0.757	14.436	8.289	6.147
	खीरी	7	लौकहा चैराहें से नहर तक सम्पर्क मार्ग	0.460	24.753	19.797	11.618	8.179	2.180	1.283	0.897	17.617	10.335	7.282
		7	**योग जनपद-**	**3.306**	**197.721**	**158.137**	**91.655**	**66.482**	**17.416**	**10.123**	**7.293**	**140.721**	**81.532**	**59.189**
18	सीतापुर	1	कुम्हारनपुरवा नहर पटरी से गढी डामर रोड तक	0.780	61.425	49.128	25.986	23.142	5.411	2.870	2.541	43.717	23.116	20.601
	सीतापुर	2	गौसापुर से पगराई मार्ग	0.650	45.688	36.541	17.959	18.582	4.025	1.984	2.041	32.516	15.975	16.541
		2	**योग जनपद-**	**1.430**	**107.113**	**85.669**	**43.945**	**41.724**	**9.436**	**4.854**	**4.582**	**76.233**	**39.091**	**37.142**
19	हरदोई	1	ग्राम मोहाई (पतसेनी) से भीरीघाट लखनऊ रोड मार्ग तक भाग-1	1.185	89.479	71.565	32.317	39.248	7.882	3.570	4.312	63.683	28.747	34.936
		1	**योग जनपद-**	**1.185**	**89.479**	**71.565**	**32.317**	**39.248**	**7.882**	**3.570**	**4.312**	**63.683**	**28.747**	**34.936**
20	अयोध्या	1	केशवपुर-अंजना सम्पर्क मार्ग से मोहर्रमपुर तक	0.600	37.659	30.120	15.950	14.170	3.317	1.762	1.555	26.803	14.188	12.615
		1	**योग जनपद-**	**0.600**	**37.659**	**30.120**	**15.950**	**14.170**	**3.317**	**1.762**	**1.555**	**26.803**	**14.188**	**12.615**
21	अम्बेडकर नगर	1	ग्राम कान्दीपुर दलहा पी.सी. से रहीमाबाद	0.400	21.240	16.988	8.788	8.200	1.871	0.971	0.900	15.117	7.817	7.300

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		1	**योग जनपद-**	**0.400**	**21.240**	**16.988**	**8.788**	**8.200**	**1.871**	**0.971**	**0.900**	**15.117**	**7.817**	**7.300**
22	गोण्डा	1	ग्राम पंचायत चन्दापुर में प्राथमिक विद्यालय से जसनपुरवा तक	0.735	47.797	38.228	18.872	19.356	4.210	2.084	2.126	34.018	16.788	17.230
		1	**योग जनपद-**	**0.735**	**47.797**	**38.228**	**18.872**	**19.356**	**4.210**	**2.084**	**2.126**	**34.018**	**16.788**	**17.230**
23	बलरामपुर	1	ग्राम पंचायत बकठौरवा में भैरूपुर प्राथमिक स्कूल से रमुआपुर का अवशेष (द्वितीय भाग)	0.200	18.215	14.568	7.258	7.310	1.605	0.802	0.803	12.963	6.456	6.507
	बलरामपुर	2	भवनीयापुर से युवराजपुर का अवशेष (द्वितीय भाग)	0.550	38.456	30.757	15.288	15.469	3.387	1.688	1.699	27.370	13.600	13.770
		2	**योग जनपद-**	**0.750**	**56.671**	**45.325**	**22.546**	**22.779**	**4.992**	**2.490**	**2.502**	**40.333**	**20.056**	**20.277**
24	बहराईच	1	जैतापुर बेहटा चूण्डामणि से पण्डिलपुरवा	0.650	44.400	35.511	16.452	19.059	3.911	1.818	2.093	31.600	14.634	16.966
		1	**योग जनपद-**	**0.650**	**44.400**	**35.511**	**16.452**	**19.059**	**3.911**	**1.818**	**2.093**	**31.600**	**14.634**	**16.966**
25	बस्ती	1	रसूलपुर में मन्दिर से तरेता मार्ग	0.500	37.970	30.368	14.905	15.463	3.345	1.647	1.698	27.023	13.258	13.765
		1	**योग जनपद-**	**0.500**	**37.970**	**30.368**	**14.905**	**15.463**	**3.345**	**1.647**	**1.698**	**27.023**	**13.258**	**13.765**
26	कुशीनगर	1	जंगल शाहपुर भेड़ीहारी टोला पंचायत भवन से लोक निर्माण विभाग मार्ग तक	0.950	68.382	54.692	26.888	27.804	6.024	2.970	3.054	48.668	23.918	24.750
		1	**योग जनपद-**	**0.950**	**68.382**	**54.692**	**26.888**	**27.804**	**6.024**	**2.970**	**3.054**	**48.668**	**23.918**	**24.750**
		47	**महायोग**	**33.234**	**1860.017**	**1487.642**	**749.999**	**737.643**	**163.843**	**82.839**	**81.004**	**1323.799**	**667.160**	**656.639**

(रूपये सात करोड़ सैत्तीस लाख चौसठ हजार तीन सौ मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।